न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 140/2025 अपील (GCMS 2025/140)
पंजीयन दिनांक- 21/07/2025
निर्णय दिनांक- 01/12/2025

1. श्री विवेक पिता गेबीलाल सालवी, निवासी 41, गोकुल विलेज बाईपास रोड़, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-अपीलांट

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पिता भंवरलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
2. श्रीमती भरमा बाई पत्नि भंवरलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
3. श्री केशुलाल उर्फ केशरीमल पिता मगनलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
4. श्री पवन कुमार पिता नाथुलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
5. श्री रमेश कुमार पिता नाथुलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
6. श्री जयंतीलाल पिता नाथुलाल जैन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
7. श्री धनराज पिता कपुरचंद महाजन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
8. श्री जयंतीलाल पिता कपुरचंद महाजन, निवासी जैताणा, हाल तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झल्लारा, जिला सलूम्बर।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर के
प्ररकण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 24.03.2025

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर के प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 24.03.2025 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 /अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र/वाद धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/अपीलांट्स की भूमि मौजा जैताणा, पुरानी तहसील सलूम्बर हाल तहसील झल्लारा मे स्थित होकर आराजी नम्बर 3001 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3002 रकबा 0.05 है, जिसके रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 एकमात्र मालिक होकर काबिज है। अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि आराजी संख्या 3003 रकबा 0.03 हैक्टेयर है, जिसे अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दौराने विचारण उक्त प्रार्थना पत्र के दिनांक 22.12.2015 को क्रय किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। पक्षकरान की भूमि के वर्तमान आराजी एवं सेटलमेंट पूर्व के आराजी निम्नानुसार है:- साबिक आराजी नम्बर 1353/1 रकबा 6 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3001 रकबा 0.05 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1353/2 रकबा 4 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3002 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा साबिक आराजी नम्बर 1352

रकबा 3 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3003 रकबा 0.03 हैक्टेयर, पक्षकरान की उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सलूम्बर से बांसवाडा जाने वाला नया राज्य मार्ग निकला है तथा दक्षिणी दिशा की तरफ जैताणा गांव में जाने हेतु गांव का आम रास्ता स्थित है। पक्षकारान अपनी-अपनी भूमि पर वर्षो से काबिज चले आ रहे है। सेटलमेंट बाद नये नक्शे में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 /अपीलांट्स की भूमि के स्थान पर आराजी नम्बर 3003 बता दिया गया है, जबकि उक्त आरजी नम्बर मुख्य सड़क के करीब 70 से 80 फीट दूरी पर स्थित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 /अपीलांट्स ने अपनी आराजी नम्बर 3001 व 3002 पर वर्षो पूर्व पत्थर की नींव तथा अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने भी अपनी भूमि पर पत्थर की कोट बना रखी है, जो आज भी मौके पर कायम है। नये नक्शें में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करने से अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है तथा न ही उसके अधिकरों पर विपरीत प्रभाव पडना है। अतः न्यायहित में उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 24.03.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.03.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"अतः वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, झल्लारा को आदेश दिया जाता है कि मौजा जैताणा, पटवार हल्का जैताणा के हाल आराजी नम्बर 3003 की नक्शा शीट में साबिक खसरा संख्या 1352 की नक्शा शीट अनुरूप शुद्धि कर पैमुद किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में नक्शा शीट में अमल-दरामद करावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त आराजी असल में साबिक आराजी नम्बर 1353/1 से बना है, मौके पर उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा कब्जे काश्त की जा रही है, हाल आराजी संख्या 3003 जो कि साबिक आराजी नम्बर 1352 से बना होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 का कोई हक व अधिकार नहीं है, इतना ही नहीं हाल आराजी नम्बर 3003 किस्म आबादी होकर स्वयं राजस्व अधिकारियों के द्वारा संपरिवर्तन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा प्रथमतः तो प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा राजस्व वाद के रूप में दर्ज किया एवं बिना अपीलांट को सुने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की सहुलियत के आधार पर मनमाने तरीके से प्रकरण को धारा 136 में परिवर्तित कर दिया, जो पूर्णतया अवैध है। हाल आराजी नम्बर 3003 राजस्व रेकार्ड में किस्म आबादी है, जो अपीलांट विवेक ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 को पूर्व स्वामी श्रीमती सरला व अन्य से क्रय किया, जिसे श्रीमती सरला व अन्य ने हाल आराजी नम्बर 3003 श्री होमा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1987 से क्रय किया, जो सेटलमेंट पूर्व साबिक आराजी नम्बर 1352 जरिये नामांतरकरण संख्या 1456 से नवीनचंद्र पिता खातरा मीणा के नाम दर्ज हुई, जिसे नवीनचंद्र ने दिनांक 18.09.1996 को तहसीलदार, सलूम्बर से अपने

नाम पूर्व साबिक आराजी नम्बर 1352 जिसके हाल आराजी नम्बर 3003 रकबा 0.0300 हैक्टेयर बने, को नियमानुसार आवासीय संपरिवर्तन करवाया, इस तरह मौजा जैताणा के हाल आराजी का एकमात्र स्वामी मालिक अपीलांट विवेक है। राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंट पूर्व साबिक आराजी नम्बर 1352 जहां राजस्व नक्शे में अंकित था वही पर वर्तमान हाल नक्शें में भी हाल आराजी नम्बर 3003 अंकित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 136 के तहत महज आपसी सहमति एवं लिपिकीय भूमि के ही सुधार किया जा सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में न तो अपीलांट की कोई सहमति है ना ही लिपिकीय भूल का मामला है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून से परे जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2008 Sup. (Raj) 1250, 2001 Sup. (Raj) 673, 2010 Sup. (Raj) 755, 2009 Sup. (Raj) 774, , 2007 Sup. (Raj) 870, , 2009 Sup. (Raj) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट अपनी-अपनी भूमि पर वर्षो से काबिज चले आ रहे है, जिसमें सेटलमेंट पूर्व के नक्शे के अनुसार ही अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 साबिज है। सेटलमेंट बाद नये नक्शे में अपीलांट की भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की भूमि के स्थान पर आराजी संख्या 3003 बता दिया गया था, जबकि उक्त आराजी नम्बर मुख्य सड़क से करीब 70 से 80 फीट दूरी पर स्थित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने अपनी आराजी नम्बर 3001 व 3002 में वर्षो पूर्व से पत्थर की नींव बनी हुई है तथा अपीलांट ने भी अपनी भूमि पर पत्थरों की कोट बना रखी है, जो आज भी मौके पर कायम है। नये नक्शे में सेटलमेंट विभाग से हुई गलती को दुरस्त करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश

किया, जिस पद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उचित एवं नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा दिनांक 24.03.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील न्यायहित हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/अपीलांट्स की भूमि मौजा जैताणा, पुरानी तहसील सलूम्बर हाल तहसील झल्लारा मे स्थित होकर आराजी नम्बर 3001 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3002 रकबा 0.05 है, जिसके रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 एकमात्र मालिक होकर काबिज है। अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि आराजी संख्या 3003 रकबा 0.03 हैक्टेयर है, जिसे अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दौराने विचारण उक्त प्रार्थना पत्र के दिनांक 22.12.2015 को क्रय किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। पक्षकरान की भूमि के वर्तमान आराजी एवं सेटलमेंट पूर्व के आराजी निम्नानुसार हैः- साबिक आराजी नम्बर 1353/1 रकबा 6 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3001 रकबा 0.05 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर

1353/2 रकबा 4 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3002 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा साबिक आराजी नम्बर 1352 रकबा 3 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 3003 रकबा 0.03 हैक्टेयर, पक्षकरान की उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सलूम्बर से बांसवाडा जाने वाला नया राज्य मार्ग निकला है तथा दक्षिणी दिशा की तरफ जैताणा गांव में जाने हेतु गांव का आम रास्ता स्थित है। पक्षकारान अपनी-अपनी भूमि पर वर्षो से काबिज चले आ रहे है। सेटलमेंट बाद नये नक्शे में अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि को नक्शे में गलत इन्द्राज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 /अपीलांट्स की भूमि के स्थान पर आराजी नम्बर 3003 बता दिया गया है, जबकि उक्त आरजी नम्बर मुख्य सड़क के करीब 70 से 80 फीट दूरी पर स्थित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 /अपीलांट्स ने अपनी आराजी नम्बर 3001 व 3002 पर वर्षो पूर्व पत्थर की नींव तथा अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने भी अपनी भूमि पर पत्थर की कोट बना रखी है, जो आज भी मौके पर कायम है। नये नक्शें में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करने से अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है तथा न ही उसके अधिकरों पर विपरीत प्रभाव पडना है। अतः न्यायहित में उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 24.03.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा तहसीलदार, झल्लारा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, झल्लारा द्वारा दिनांक 11.03.2025 से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर वर्तमान राजस्व नक्शा एवं पुराने नक्शा का मिलान किया

गयाः- मौजा जैताणा का खसरा संख्या 3001 साबिक अराजी नम्बर 1353/1 रकबा 6 बिस्वा से बना है। खसरा संख्या 3002 साबिक आराजी नम्बर 1353/2 रकबा 4 बिस्वा से बना होकर पुराने नक्शे में 1353/1 के पूर्व दिशा में सीमा से लगती हुई वर्तमान सलूम्बर-बांसवाडा रोड़ पर स्थित है। खसरा संख्या 3003 साबिक आराजी नम्बर 1352 रकबा 3 बिस्वा से बना होकर पुराने नक्शे में 1353/1, 1353/2 के बीच की पाली जो दक्षिण से उत्तर की ओर पायी जाती है, उससे शुरू होकर ग्राम पंचायत, जैताणा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, साबिक आराजी नम्बर 1352 मुख्य सड़क सलूम्बर-बांसवाडा मार्ग से करीब 70-80 फीट दूर से प्रारंभ होती है। वादीगणों का साबिक आराजी नम्बर 1353/1, 1353/2 अनुसार मौके पर उपस्थित वादीगणों तथा मोतबिरानों द्वारा नीवं भरी होना बताया गया है। वर्तमान में मौके पर कंटीली झाडीयां एवं गंदगी हो रही है। हाल खसरा संख्या 3003 वर्तमान नक्शे में रोड़ से सटी हुई भू-प्रबंध विभाग द्वारा अंकित कि गई है, जो साबिक नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1352 के मुकाबले सही नहीं है। प्रस्तुत किए गये पुराने एवं नए नक्शा शीट अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 3003 को सलूम्बर-बांसवाडा मार्ग से हटाकर पूर्व साबिक खसरा संख्या 1352 की तहर शुद्धि किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार, झल्लारा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्णित गत एवं हाल नक्शा शीट में अंतर होकर अशुद्धि होना प्रमाणित है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

"136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा **राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है।**

पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जांच की कार्यवाही की गई। प्रकरण में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा जांच के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर के द्वारा प्रकरण में दुरूस्ती का आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्वि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख

अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नक्शा ट्रेस/शीट में शुद्वि की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2025 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.03.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर